कल्याण नगर, मेरठ
ई–मेल meerut.bsa@gmail.com

फोन नम्बर 0121–2703911
फैक्स नम्बर 0121–2703911

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक–शि०स०/15310-13 /2013–14 दिनांक:– 01-03-2014

प्रबन्धक
स्टैप टू सक्सीज (SUCCESS)
बागपत रोड पांचली मेरठ

**विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 22/08/2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं स्टैप टू सक्सीज बागपत रोड पांचली मेरठ को दिनांक 01-07-2014 से दिनांक 30-06-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा [illegible] से कक्षा [illegible] तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिमय 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार–नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश [illegible] अधिनियम की धारा 15 [illegible] विद्यालय निम्न[illegible] सुनिश्चित करेगा।

Ideal Educational Society
Sanjay Bansal
Secretary

PRINCIPAL
STEP TO SUCCESS SCHOOL
12th Km. MILE STONE, MEERUT
-BAGHPAT ROAD, PANCHLI,
MEERUT (U.P.) 250 002

Ideal Educational Society
Sanjay Bansal
Secretary

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित ... एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्या... दिया जायेगा।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्ह... की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यू... अर्हतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए ...
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :– मानक के अनुसार उपलब्ध है
- कुल निर्मित क्षेत्र :– मानक के अनुसार, उपलब्ध है।
- कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल :– मानक के अनुसार उपलब्ध है
- कक्षाओं की संख्या :– 13
- प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए दक्ष :– 01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :– 02 (बालक), 02 (बालिका)
- पेयजल सुविधा :– 02
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई :– 01
- बाधारहित पहुंच :– उपलब्ध है
- अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता :– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर– मान्यता प्राप्त क... चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल वि... प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

Ideal Educational Society
Secretary

Ideal Educational Society
Secretary

PRINCIPAL
STEP TO SUCCESS SCHOOL
12th Km. MILE STONE, MEERUT
-BAGHPAT ROAD, PANCHLI,
MEERUT (U.P.) 250 002

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 – (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ...12... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

(जीवेन्द्र सिंह ऐरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ

Ideal Educational Society
Secretary

PRINCIPAL
STEP TO SUCCESS SCHOOL
12th Km. MILE STONE, MEERUT
-BAGHPAT ROAD, PANCHLI,
MEERUT (U.P.) 250 002

Ideal Educational Society
Secretary